BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
MA NO. <u>22 OF 2026</u>
IN
OA NO. <u>634 OF 2025</u>
IN THE MATTER OF

Dr. Amit Kumar ......Applicant

VERSUS

State of Uttar Pradesh & Ors. ......Respondents

INDEX IN ADDITIONAL SUBMISSIONS BY APPLICANT

Sr No.	Particulars	Pg No.
1.	Index	1
2.	Additional submissions by the applicant	2
3.	**Annexure A-1**: Geotagged pictures of tree felling ongoing and environmental damage caused by the Respondent No. 5 & 6	3-7
4.	**Annexure A-2**: True copy of the Appeal dated 11.02.2026 filed under Section 6 of *Uttar Pradesh Protection of Trees Act, 1976* before the Revising Authority	8-9
5.	**Annexure A-3**: True copy of the response of the Revising Authority to the Appeal dated 11.02.2026 filed under Section 6 of *Uttar Pradesh Protection of Trees Act, 1976*	10-13

Filed by:

Dr. Amit Kumar
Applicant
Place: New Delhi
Dated: 18.03.2026

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
MA NO. 22 OF 2026
IN
OA NO. 634 OF 2025
IN THE MATTER OF

Dr. Amit Kumar ......Applicant

VERSUS

State of Uttar Pradesh & Ors. ......Respondents

Additional Submissions by the Applicant

1. That the Applicant seeks to place on record additional material and subsequent developments that are vital for the adjudication of the present matter.
2. That the Applicant is placing on record Geotagged photographs as evidence of the ongoing felling of trees and the resultant environmental damage caused by Respondent No. 5 & 6. A copy of the Geotagged pictures is annexed herewith and marked as **Annexure A-1**.
3. That the Applicant, seeking statutory remedy, filed an Appeal dated 11.02.2026 under Section 6 of the U.P. Protection of Trees Act, 1976, before the designated Revising Authority. A copy of the Appeal dated 11.02.2026 is annexed herewith and marked as **Annexure A-2**.
4. That the Applicant has since received a response/order from the Revising Authority regarding the aforementioned Appeal. A copy of the Response from the Revising Authority is annexed herewith and marked as **Annexure A-3**.
5. That despite the statutory appeals and the clear mandates of the U.P. Protection of Trees Act, 1976, the Revising Authority as well as the Respondents have chosen to act in blatant violation of the law. The failure of the authorities to intervene has left the Applicant with no other legal recourse or option for relief other than to approach this Hon'ble Tribunal to prevent further irreparable environmental loss.

Amit

Dr. Amit Kumar
Place: New Delhi
Dated: 18.03.2026

Annexure A-1

Image 1

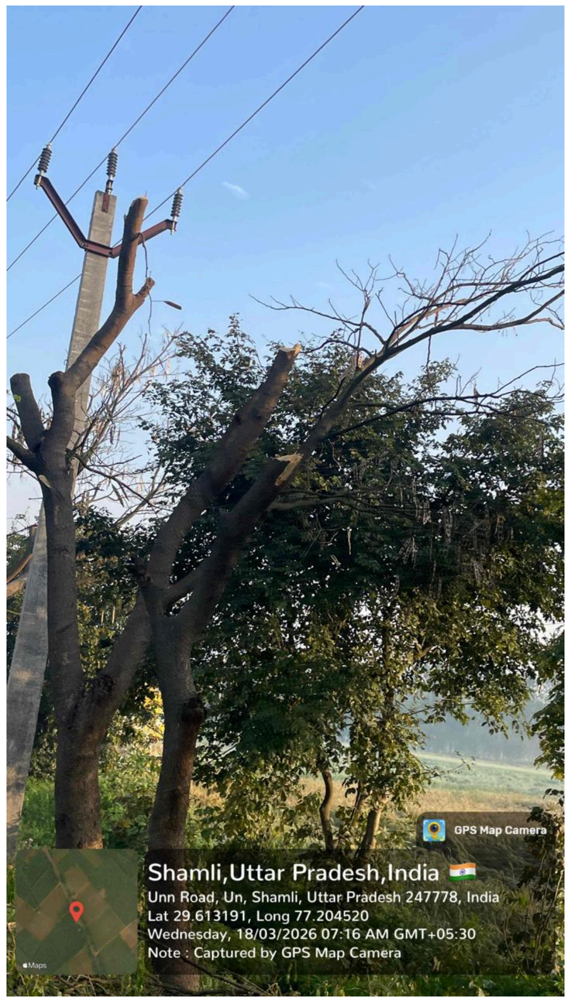

Image 2

Image 3

Image 4

Image 5

Image 6

Image 7

Image 8

Image 9

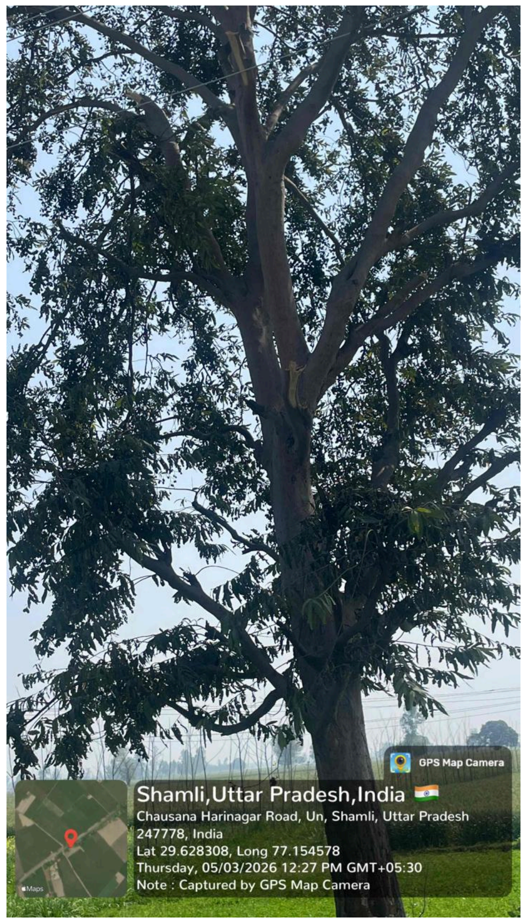

Image 10

Image 11

Image 12

Image 13

Image 14

Image 15

Image 16

Image 17 **Image 18**

Image 19 **Image 20**

पंजीकृत डाक/ईमेल/ऑनलाइन पोर्टल

दिनांक: 11 फरवरी 2026

सेवा में,
सक्षम पुनरीक्षण प्राधिकारी (उ. प्र. वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 के अधीन)
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ० प्र० शासन

विषय: *उ. प्र. वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976* की धारा 6 के अंतर्गत, प्रभागीय वनाधिकारी शामली के पत्रांक 2003/22-1 दिनांक 31.01.2026 के विरुद्ध विधिक अभ्यावेदन।

महोदय,
यह कि प्रार्थी प्रभागीय वनाधिकारी, शामली द्वारा अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड-कैराना को निर्गत विवादित अनापत्ति पत्र पत्रांक 2003/22-1 दिनांक 31.01.2026 से पूर्णतः क्षुब्ध होकर यह पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करता है क्योंकि उक्त अनापत्ति पत्र न केवल कानून की मंशा के विपरीत है बल्कि पारिस्थितिक संतुलन को अपूरणीय क्षति पहुँचाने वाला है। इस विधिक अभ्यावेदन के साथ विवादित अनापत्ति पत्र एवं उ. प्र. वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 की अंग्रेजी एवं हिंदी प्रतिलिपि संलग्न है।

चूंकि ***उ. प्र. वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976*** **की धारा 3(पांच) के अंतर्गत "वृक्ष के निपातन" की वैधानिक परिभाषा में वृक्ष को काटना, गिराना, छांटना (Lopping) अथवा उसे किसी अन्य रीति से क्षति पहुँचाना स्पष्ट रूप से सम्मिलित है**, किंतु प्रभागीय वनाधिकारी ने उक्त अधिनियम के कठोर प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए 605 मूल्यवान वृक्षों की टहनियों की "छंटाई (lopping)" की अनुमति इस प्रकार प्रदान की है जैसे कि वह अधिनियम के दायरे से बाहर हो, जो कि क्षेत्राधिकार का दुरुपयोग और कानून की त्रुटिपूर्ण व्याख्या है।

यह कि उक्त अधिनियम की धारा 5(4) के अंतर्गत यह आज्ञापक प्रावधान है कि वृक्ष निपातन अथवा छंटाई की प्रत्येक अनुमति अनिवार्य रूप से उन शर्तों के अधीन होगी जो क्षेत्र में पुनरुत्पादन और वृक्षों के पुनः आरोपण को सुनिश्चित करने हेतु प्रतिभूति लेने का आदेश देती हों, परंतु विवादित अनापत्ति पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रभागीय वनाधिकारी शामली ने ऐसी किसी भी प्रतिभूति या गारंटी की मांग नहीं की गई है, जो सीधे तौर पर अधिनियम की धारा 5(4) का उल्लंघन है।

यह कि उक्त अधिनियम की धारा 7 के तहत यह प्रत्येक अनुमति धारक का विधिक दायित्व है कि वह काटे गए या छांटे गए प्रत्येक वृक्ष के स्थान पर दो वृक्षों का रोपण करे और उनका परिपोषण सुनिश्चित करे, किंतु अनापत्ति पत्र में 605 वृक्षों की छंटाई के बदले 1210 नए वृक्षों के अनिवार्य आरोपण के संबंध में पूर्णतः चुप्पी साधी गई है, जो कि अधिनियम के मुख्य उद्देश्य यानी हरित आवरण के अनुरक्षण की घोर अवहेलना है।

यह कि चूंकि उक्त अनापत्ति पत्र केवल क्षेत्रीय वन अधिकारी की आख्या के आधार पर बिना किसी विस्तृत पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के और बिना यह सुनिश्चित किए जारी की गई है कि इस व्यापक स्तर की छंटाई से वृक्षों के सूखने की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी, जो कि प्रशासनिक विवेक का मनमाना इस्तेमाल और पर्यावरण के प्रति घोर लापरवाही है। यह कि चूंकि यह अनुमति अधिनियम की धारा 5 के तहत अनिवार्य प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों और धारा 7 के अनिवार्य दायित्वों को पूरी तरह से विफल करती है, इसलिए यह आदेश विधि की दृष्टि में टिकने योग्य नहीं है और इसे तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाना न्यायसंगत है।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि जनहित और पर्यावरण संरक्षण को दृष्टिगत रखते हुए एवं *उ. प्र. वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976* के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, शामली के पत्रांक 2003/22-1 दिनांक 31.01.2026 को निरस्त करने की कृपा करें तथा उक्त पारेषण लाइन के नाम पर होने वाली वृक्षों की छंटाई पर तत्काल रोक लगाई जाए।

Amit

डॉ अमित कुमार
निवासी: मकान संख्या 227, टाइप II, काली बाड़ी मार्ग, गोल मार्किट, नई दिल्ली 110001
संपर्क: 9050487878 ईमेल: amit0123.ac@gmail.com

प्रतिलिपि प्रेषित:
1 - प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ० प्र० शासन, लखनऊ
2 - प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष, उ० प्र० शासन, लखनऊ
3 - मुख्य वन संरक्षक, पश्चिमी क्षेत्र, मेरठ, उ० प्र०
4 - वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर, उ० प्र०
5 - प्रभागीय वन अधिकारी, शामली, उ० प्र०

संदर्भ संख्या : 60000260035979 , दिनांक - 18 Mar 2026 तक की स्थिति

आवेदनकर्ता का विवरण :

शिकायत संख्या:-
60000260035979

आवेदक का नाम-
डॉ अमित कुमार

विषय-
प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन) महोदय से अपेक्षित है की संलग्न पत्र को संज्ञान में लेते हुए उ. प्र. वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 के अनुपालन में उचित, नियमानुसार एवं तत्काल क़ानूनी कार्यवाही करने का कष्ट करें।

विभाग -
वन

शिकायत श्रेणी -
भ्रष्टाचार / वित्तीय अनियमितता/कार्यों-विभागीय योजनाओं में लापरवाही/जांच

शिकायत की स्थिति -
निस्तारित

प्राप्त रिमाइंडर-

प्राप्त फीडबैक -
दिनांक को फीडबैक:-

फीडबैक की स्थिति -

फीडबैक पर कार्यवाही-

कार्यवाही दिनांक -

संलग्नक देखें -
Click here

नोट- अंतिम कॉलम में वर्णित सन्दर्भ की स्थिति कॉलम-5 में अंकित अधिकारी के स्तर पर हुयी कार्यवाही दर्शाता है!

अधीनस्थ द्वारा प्राप्त आख्या :

क्र.स.	सन्दर्भ का प्रकार	आदेश देने वाले अधिकारी	अग्रसारित दिनांक	आदेश	आख्या देने वाले अधिकारी	आख्या दिनांक	आख्या	स्थिति	आपत्ति देखे	संलगनक
1	अंतरित	लोक शिकायत अनुभाग -3(मुख्यमंत्री कार्यालय)	26-02-2026	कृपया शीघ्र नियमानुसार कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गई है।	प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष -वन	11-03-2026	अधीनस्थ अधिकारी के स्तर पर निस्तारित	निक्षेपित		
2	अंतरित	प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष (वन)	26-02-2026	आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें एवं आख्या प्रेषित करें	मुख्य वन संरक्षकजोन -मेरठ	11-03-2026	Agreed with D.F.O. Shamli and C.F. Saharanpur inquiry report along with this office report wide L.No. 1548 Dt. 11.03.2026	निस्तारित		
3	आख्या	मुख्य वन संरक्षक (वन)	28-02-2026	नियमनुसार आवश्यक कार्यवाही करें	मुख्य वन संरक्षक/ वन संरक्षकमण्डल -सहारनपुर,पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	11-03-2026	प्रभागीय वनाधिकारी शामली की आख्या से सहमत	निस्तारित		
4	आख्या	मुख्य वन संरक्षक/ वन संरक्षक (पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)	05-03-2026	जांच कर आख्या प्रेषित करें	प्रभागीय वन अधिकारी-शामली,पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	10-03-2026	File attached	निस्तारित		

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, मेरठ

(223/1, सिविल लाइन, मेरठ–250001)

पत्रांकः 1548 /33–3, दिनांक, मेरठ, मार्च 011 ,2026.

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

विषयः– आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर प्राप्त भारत सरकार (पी0जी0पोर्टल) सन्दर्भ संख्या–60000260035979 के निस्तारण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर प्राप्त भारत सरकार (पी0जी0पोर्टल) संदर्भ संख्या–60000260035979.

महोदय,

उपरोक्त विषय में आपको सादर अवगत कराना है कि इस कार्यालय के आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर प्राप्त भारत सरकार (पी0जी0पोर्टल) संदर्भ संख्या–60000260035979 के माध्यम से भेजे गये डा0 अमित कुमार निवासी मकान नं0 227 काली बाडी मार्ग, नई दिल्ली की शिकायत को जांच हेतु वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर को आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर भेजते हुये उनसे जांचोपरान्त नियमानुसार कार्यवाही कर आख्या मांगी गयी, जिसके क्रम में वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर द्वारा उक्त प्रकरण आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर नियमानुसार जांच हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, शामली वन प्रभाग, शामली को प्रेषित किया गया। प्रभागीय वनाधिकारी, शामली वन प्रभाग, शामली द्वारा विषयगत प्रकरण में जांचोपरान्त वांछित आख्या अपने कार्यालय के पत्रांक– 2361/33–3 दिनांक 10.03.2026 (संलग्नक–1) द्वारा वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर को प्रेषित की गयी, जिस पर परीक्षणोपरान्त वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर के पत्रांक– 2580/33–3, दिनांक 11.03.2026 (संलग्नक–2) द्वारा वांछित आख्या आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर अपलोड करते हुए इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जिसकी छायाप्रति संलग्न कर आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

विषयक प्रकरण में शिकायतकर्ता डा0 अमित कुमार, निवासी मकान संख्या 227 काली बाडी मार्ग, नई दिल्ली द्वारा अपलोड की गयी शिकायत के में उल्लिखित किया गया है कि प्रभागीय वनाधिकारी शामली द्वारा अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड कैराना को अपने पत्रांक 2003/22–1 दिनांक 31.1.2026 द्वारा विद्युत विभाग को वृक्षों की टहनियों की कटाई छंटाई की दी गयी अनुमतिको निरस्त कर उक्त पारेषण लाइन के नाम पर होने वाली वृक्षों की छंटाई पर तत्काल रोक लगायी जाये।

कृ0प0उ0

डा0 अमित कुमार, निवासी मकान संख्या 227 काली बाडी मार्ग, नई दिल्ली शामली के पी0जी0पोर्टल सन्दर्भ संख्या–60000260035979 पर प्रभागीय वनाधिकारी शामली वन प्रभाग, शामली द्वारा प्रेषित जांच आख्या पत्रांक 2361/33–3 दिनांक 10.03.2026 में अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत शिकायत की जांच क्षेत्रीय वनाधिकारी ऊन से करायी गयी जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया कि पत्रांक 2003/22–1 दिनांक 31.01.2026 से प्रदत्त अनुमति को निरस्त किए जाने हेतु प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण के परीक्षण से ज्ञात होता है कि माननीय एन0जी0टी0 द्वारा दिनांक 11.02.2026 को वाद संख्या ओ0ए0–634/2025 में आवेदक की याचिका निरस्त करते हुए कार्य को विधि एवं नियमों के अधीन संपादित किए जाने का निर्देश दिया गया है। इससे अनुमति में किसी प्रकार की प्रथम दृष्टया अवैधता परिलक्षित नहीं होती। अतः प्रस्तुत प्रतिनिधित्व में कोई नवीन तथ्य न होने के कारण इसे निराधार पाया जाता है। तदनुसार प्रतिनिधित्व निरस्त किए जाने की संस्तुति की जाती है। संबंधित कार्य अनुमत शर्तों एवं अधिनियम के प्रावधानों के अधीन संपादित किया जाएगा।

अतः विषयक प्रकरण में वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर एवं प्रभागीय वनाधिकारी शामली द्वारा प्रस्तुत आख्या के आधार पर वांछित आख्या शिकायत निस्तारित किये जाने की संस्तुति सहित महोदय की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

Digitally signed by
ILANGO KRISHNAN
Date: [illegible].03.2026
13:36:25

(डा0 के0इलन्गो)
मुख्य वन संरक्षक,
पश्चिमी क्षेत्र, उ0प्र0, मेरठ।

पत्रांकः 1548/ दिनांकित।

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन (अराजपत्रित), उत्तर प्रदेश, लखनऊ को आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर प्राप्त भारत सरकार (पी0जी0पोर्टल) संदर्भ संख्या–60000260035979 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

(डा0 के0इलन्गो)
मुख्य वन संरक्षक,
पश्चिमी क्षेत्र, उ0प्र0, मेरठ।

कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
पत्रांक– 2580/33–3(IGRS) दिनांक, सहारनपुर 11.03.2026।

सेवा में,

मुख्य वन सरक्षक,
पश्चिमी क्षेत्र,
उ0प्र0, मेरठ।

विषयः आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर प्राप्त भारत सरकार सन्दर्भ संख्या–**60000260035979** के सम्बन्ध में

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित आई0जी0आर0एस0 शिकायत संख्या–**60000260035979** के माध्यम से शिकायतकर्ता श्री अमित कुमार, निवासी– नई दिल्ली द्वारा वन विभाग के पंत्राक 2003/22–1 दिनांक 31.01.2023 द्वारा विद्युत विभाग को दी गई अनुमति को निरस्त किये जाने विषयक शिकायत की गयी है। शिकायत की जॉच प्रभागीय वनाधिकारी, शामली वन प्रभाग, शामली से करायी गयी। विषयक प्रकरण में प्रभागीय वनाधिकारी ,शामली वन प्रभाग, शामली द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक 2361/33–3 दिनांक 10.03..2026 (संलग्नक–1) द्वारा वांछित आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गई है।

प्रभागीय वनाधिकारी, शामली वन प्रभाग, शामली द्वारा अवगत कराया है कि शिकायत की जांच क्षेत्रीय वनाधिकारी ऊन से करायी गयी जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया कि ऊन रेंज कार्यालय के पत्रांक 2003/22–1 दिनांक 31.01.2026 से प्रदत्त अनुमति को निरस्त किए जाने हेतु प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण के परीक्षण से ज्ञात होता है कि माननीय एन0जी0टी0 द्वारा दिनांक 11.02.2026 को वाद संख्या ओ0ए0–634/2025 में आवेदक की याचिका निरस्त करते हुए कार्य को विधि एवं नियमों के अधीन संपादित किए जाने का निर्देश दिया गया है। इससे अनुमति में किसी प्रकार की प्रथम दृष्टया अवैधता परिलक्षित नहीं होती। अतः प्रस्तुत प्रतिनिधित्व में कोई नवीन तथ्य न होने के कारण इसे निराधार पाया जाता है। तदनुसार प्रतिनिधित्व निरस्त किए जाने की संस्तुति की जाती है। संबंधित कार्य अनुमत शर्तों एवं अधिनियम के प्रावधानों के अधीन संपादित किया जाएगा।

अतः प्रकरण में प्रभागीय वनाधिकारी, शामली वन प्रभाग, शामली द्वारा प्रेषित जॉच आख्या के आधार पर विषयाकिंत शिकायत की वांछित आख्या आपकी सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

Digitally signed by
ILANGO KRISHNAN
Date: 11-03-2026
10:41:39

भवदीय,

(डा0के इलन्गो)
मुख्य वन संरक्षक
प्रभारी वन संरक्षक/ क्षेत्रीय निदेशक
सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, शामली वन प्रभाग,शामली।

पत्रांक 2361 /33–3 दिनांक, शामली 10/03/ 2026।

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सहारनपुर वृत्त सहारनपुर।

विषयः– आई0जी0आर0एस0शिकायत संख्या 60000260035979।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है उपरोक्त शिकायत की जांच क्षेत्रीय वनाधिकारी ऊन से करायी गयी जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया कि ऊन रेंज कार्यालय के पत्रांक 2003/22–1 दिनांक 31.01.2026 से प्रदत्त अनुमति को निरस्त किए जाने हेतु प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण के परीक्षण से ज्ञात होता है कि माननीय एन0जी0टी0 द्वारा दिनांक 11.02.2026 को वाद संख्या ओ0ए0–634/2025 में आवेदक की याचिका निरस्त करते हुए कार्य को विधि एवं नियमों के अधीन संपादित किए जाने का निर्देश दिया गया है। इससे अनुमति में किसी प्रकार की प्रथम दृष्टया अवैधता परिलक्षित नहीं होती।

अतः प्रस्तुत प्रतिनिधित्व में कोई नवीन तथ्य न होने के कारण इसे निराधार पाया जाता है। तदनुसार प्रतिनिधित्व निरस्त किए जाने की संस्तुति की जाती है। संबंधित कार्य अनुमत शर्तों एवं अधिनियम के प्रावधानों के अधीन संपादित किया जाएगा।

महोदय जांच आख्या सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली